

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-462004

क्रमांक 72/CRSK/PA/PS/12
प्रति,

भोपाल, दिनांक 9/3/12

- 1-समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।
- 2-समस्त जिला परियोजना समन्वयक,
मध्यप्रदेश।

विषय:- संविदा सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत नियुक्त संविदा कर्मियों को सेवा से पृथक करने बाबत।

—0—

मैदानी अधिकारियों से यह जानकारी मिली है कि कुछ जिलों में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना पर्याप्त आधार दर्शाता हुआ स्पीकिंग आर्डर पारित किये बिना भी संविदा नियुक्ति की समाप्ति की कार्यवाही की गई है। ऐसी कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांत के विपरीत है। कृपया सुनिश्चित करें कि यदि संविदा कर्मियों की संविदा अवधि के पूर्व सेवा समाप्ति की जानी हो, तो संबंधित संविदा कर्मी को अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर दिया जाए। साथ ही सेवा समाप्ति का आदेश बोलना हुआ हो, जिसमें यह स्पष्ट हो कि उस संविदा कर्मी ने किस संविदा की शर्त का उल्लंघन किया।



(मनोज झालानी)

प्रमुख सचिव,

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक 73/CRSK/PA/PS/12

भोपाल, दिनांक 9/3/12

प्रतिलिपि:-

- 1- आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



प्रमुख सचिव,

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग